

3273

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

\*\*\*

No.- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated: Shimla-171 002, the 6 March, 2021

ORDER

**Subject:- Diversion of 3.1834 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Balana to Balli road (Kms. 0/0 to 5/400), within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, District Chamba, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8बी/एच.पी.बी./06/63/2017/225 दिनांक 06.05.2019 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 3.1834 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Man Massi DPF में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 7.00 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

प्रती सं 5087  
दिनांक 10/03/21

S/FCA

APCCF (FCA)

9/3

APCCF (Hoff)

8/3/21

7. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UoI & Ors.
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 125 trees से अधिक न हो।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।
12. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
14. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।



उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 6 March, 2021  
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Dalhousie Forest Division, District Chamba, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Dalhousie, District Chamba, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 6-3-2021  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2621871

♦♦♦♦♦